10/ उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देशो जो मण्डी अधिनियम उपविधि तथा आयुक्त सह प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्थायी महत्व के आवश्यक दिशा निर्देश होने से कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण मे प्रवेश, तौल, भुगतान तथा कृषको के सघन उपस्थिति वाले प्रत्येक स्थल पर बड़े-बड़े सुवाच्य अक्षरों मे होर्डिंग तैयार करा, प्रदर्शित किया जावे और प्रतिदिन प्रांगण मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों से उदघोषणा निरन्तर जारी रख व समुचित प्रचार प्रसार भी योग्य माध्यमो से किया जावे। सूचना होर्डिंग मे तत्संबंधी कार्रवाई हेतु अधिकृत प्रांगण प्रभारी निरीक्षक, मंडी सचिव, आंचलिक संयुक्त संचालक के नाम और दूरभाष/मोबाईल क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख हो।

11/ प्रायः यह देखने मे यह आया है कि उक्त आदेशो का पालन नही हो रहा है। मण्डी अधिनियम के उक्त प्रावधानो के दृष्टिगत, विलम्बित भुगतान के ऐसे प्रकरणों के प्रकाश मे आने पर, व्यापारी/फर्म के विरूद्ध म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 एवं उपविधियो के प्रावधान अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जावे एवं कृषको के भुगतान में किसी भी प्रकार के कटात्रा अथवा व्यतिक्रम के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में आंचलिक अधिकारी द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाकर, अधीनस्थ मण्डियों में ऐसे प्रकरण/शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही त्वरित कराया जाना सुनिश्चित कर, प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को यथासमय प्रस्तुत किया जावे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./ बी-6/नियमन/भुगतान/369/1835 भोपाल,दिनांक 10/04/2018

1/ निज सचिव, माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म0प्र0।

2/ कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन।

3/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ।

4/ जिला कलेक्टर्स (समस्त) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृषको की विक्रित कृषि उपज का भुगतान उसी दिन अनिवार्यतः किया जाना मंडी अधिनियम मे प्रावधानित है, कृपया तदनुसार कार्यवाही करावे।

5/ अपर संचालक/संयुक्त/उपसंचालक म0प्र0 मंडी बोर्ड मुख्यालय, रोस्टर निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों के पालन का गहनता से परीक्षण कर प्रतिवेदन मे स्पष्ट स्थिति व प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

(19)

क./बी-6/नियमन/भुगतान/369/1639 भोपाल, दिनांक 03/04/2019

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा।

2 भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति................(समस्त)
जिला........................

विषय–किसानों को कृषि उपज के पूर्ण व त्वरित भुगतान के संबंध मे।

संदर्भ–कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी–6/नियमन/भुगतान/369/1414, दिनांक 23.9.17, क्रमांक 1479 दिनांक 11.10.17, क्रमांक 1620 दिनांक 29.11.17, क्रमांक/1830 दिनांक 09.04.18

सन्दर्भित पत्रो से किसानो को उनकी कृषि उपज के भुगतान के संबंध मे आवश्यक निर्देश दिये गये है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति मे किसानो को चेक द्वारा भुगतान नही किया जाएगा।

अभी कुछ दिन पूर्व कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल एवं रायसेन मे किसानो को चेक भुगतान की घटना प्रकाश मे आयी है कि व्यापारियों द्वारा किसानो को उनकी कृषि उपज का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया है, जोकि संबंधित बैंक मे चेक बाउंस हो गये है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो इसलिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं तत्काल लागू की जाती है :–

1/ प्रतिदिवस, डाँक विक्रय से पहले लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा करायी जाये कि "केवल नगद या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान कराया जाएगा, चेक से भी भुगतान प्रतिबंधित है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे चेक से भुगतान प्राप्त न करे तथा यदि किसी व्यापारी के द्वारा चेक से भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट मण्डी समिति कार्यालय में करें"।

2/ इसके साथ–साथ यह भी उद्घोषणा लगातार करायी जाये कि **"यदि कोई किसान चेक से भुगतान प्राप्त कर रहा है तो मण्डी समिति की किसी प्रकार की कोई जवाबदारी नही रहेगी"**। यदि मण्डी में लाउडस्पीकर की व्यवस्था नही है तो हैंडमाइक से इसकी उद्घोषणा करायी जाये।

3/ चूंकि भुगतान पत्रक क्रेता व्यापारी के द्वारा किये जाते है जिसकी मण्डी समिति वाली प्रति भी प्रायः उसी कार्य दिवस मे प्राप्त नही होकर अगले कार्य दिवस मे प्राप्त

होती है एवं जिसपर भुगतान स्वरूप केवल किसान के हस्ताक्षर ही होते है जिसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित नही होने से किसान को पूर्ण भुगतान की पुष्टि नही हो पाती है। इसलिये भुगतान पत्रक की किसान वाली प्रति के आधार पर निकासी गेट पर संलग्न प्रारूप अनुसार एन्ट्री की जाकर पंजी संधारित किये जाने की व्यवस्था के निर्देश जारी किये जा रहे है।

4/ किसानो की सूचना हेतु निकासी गेट पर बोर्ड लगवाया जाये कि "किसान निकासी गेट पर संधारित पंजी मे अपने भुगतान पत्रक की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करवाये"। इस बोर्ड पर मण्डी सचिव और आंचलिक संयुक्त/उप संचालक के नाम एवं दूरभाष नम्बर भी अंकित कराया जाये।

5/ उक्तानुसार उद्घोषणा के निर्देशो/किसानो हेतु सूचना (बिन्दू कमांक 1, 2 व 4 अनुसार) को भुगतान-पत्रक के पृष्ठ भाग पर भी छपवाया जाये ।

6/ किसानो को कृषि उपज के भुगतान के संबंध मे संलग्न प्रारूप अनुसार व्यापारीवार खाता संधारित कर पंजी का संधारण किया जाये । प्रारूप मे निकासी गेट पर जानकारी संधारण हेतु किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये। संबंधित व्यापारी से किसान को नगद एवं आरटीजीएस/एनईएफटी से बैंक खाते में भुगतान का प्रमाणीकरण प्राप्त कर भुगतान की दिनांक सहित एन्ट्री भी उक्त पंजी में की जाये ताकि ज्ञात हो सके कि किसान को विक्रय उपरांत वास्तविक तौर पर किस दिनांक को भुगतान प्राप्त हुआ है। यदि नीलामी दिनांक को पूर्ण भुगतान प्राप्त नही हुआ है तो किस दिनांक को भुगतान प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी पंजी मे दर्ज की जाये। प्रारूप मे एन्ट्री के संबंध मे संलग्न अनुसार निर्देशो का पालन किया जाये ।

7/ जानकारी प्रविष्ट करने वाले कर्मचारी एवं मण्डी सचिव के द्वारा समय-समय पर भुगतान के संबंध मे रेंडम आधार पर किसान से चर्चा कर जांच करी जावें कि उनको भुगतान प्राप्त हुआ है अथवा नही ?

8/ व्यापारी की अनुज्ञा तभी बनाई जाये जब संबंधित किसान को उसके द्वारा विक्रय उपज का पूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है। इसका प्रमाणीकरण व्यापारियों से प्राप्त करे, जिसमें यूटीआर नंबर या ट्रान्जेक्शन आईडी या अन्य कोई रेफरेंस नम्बर होना चाहिए साथ ही भुगतान पत्रक मे भी किसान का बैंक खाता कमांक व मोबाइल नंबर स्पष्ट दर्ज होना चाहिए।

9/ पुनः सभी सचिवों को सचेत किया जाता है कि किसी भी मंडी मे यदि चेक से भुगतान पाया गया तो सचिव के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही करी जाएगी।

10/ यदि कोई व्यापारी चेक से भुगतान करता पाया जाता है तो उसके लाइसेंस निलम्बन/क्रय विक्रय को रोकने की कार्यवाही और निकासी/अनुज्ञा पर तत्काल प्रतिबंध की कार्यवाही की जाये।

11/ व्यापारियो के द्वारा किसानो के भुगतान मे व्यतिकम किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे आने पर संबंधित मण्डी सचिव के साथ ही प्रांगण प्रभारी, मण्डी शुल्क शाखा प्रभारी, अनुज्ञा जारी कर्ता कर्मचारी एवं अनुज्ञा शाखा प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

12/ उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। सभी मण्डियों में दिनांक 08.04.2019 को निकासी गेट पर उक्त पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाकर पालन प्रतिवेदन से अवगत करावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बी–6/नियमन/भुगतान/369/1640 भोपाल, दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मन्त्रालय भोपाल।

(2) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। मंडी समितियो के निरीक्षण के दौरान किसानो को भुगतान के संबंध मे पंजी का अवलोकन कर किसानो से रैंडम आधार पर चर्चा कर पंजी मे एन्ट्री का सत्यापन भी किया जाये।

(3) गार्ड फाईल/एमआईएस शाखा/लेखा शाखा/निरीक्षण शाखा।

3/4/19
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रारूप

व्यापारीवार खाता संधारण

क्र	दिनांक	किसान का नाम	मोबाइल नम्बर	अनुबंध पत्रक क्रमांक	भुगतान पत्रक क्रमांक	बेची गई कृषि उपज का विक्रय मूल्य	नकद भुगतान की गई राशि	शेष राशि (5-6)	किसान का बैंक खाता क्रमांक	बैंक शाखा का IFSC कोड	शेष राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया/किया जायेगा	कॉलम (12) अनुसार आरटीजीएस/एनईएफटी का UTR नम्बर	पूर्ण भुगतान दिनांक	किसान के हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट–

1/ उक्त प्रारूप मे निकासी गेट पर जानकारी संधारण हेतु किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जावे। जिसे समय–समय पर चक्रपद्धति से बदला भी जाये।

2/ उक्त प्रारूप पर व्यापारी वार खाता संधारण किया जाये। समय हो तो इसकी एन्ट्री एम.एस. एक्सल मे की जाये और दैनिक प्रिन्ट आउट लेकर पंजी संधारित की जाये।

3/ प्रारूप मे कॉलम (1) से कॉलम (11) तक की एन्ट्री उसी दिन की जाकर किसान की सहमति, कि उसे नकद भुगतान प्राप्त हो गया है और शेष भुगतान की स्थिति मे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर लिया जायेगा, के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कॉलम (15) मे प्राप्त किये जाये।

4/ प्रारूप मे कॉलम (12) मे स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि भुगतान हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी उसी दिन किया गया है अथवा आगामी दिवस मे किया जायेगा।

5/ प्रारूप मे कॉलम (13) से कॉलम (14) तक एन्ट्री, व्यापारी द्वारा किसान का पूर्ण भुगतान कर दिये जाने के उपरांत, किसान का कोई शेष नही रहना प्रमाणित किया जाकर, की जावेगी। इस संबंध मे संबंधित व्यापारियों से सतत संपर्क कर एन्ट्री पूर्ण कराई जाये।

6/ प्रारूप मे कॉलम (13) से कॉलम (14) तक मे एन्ट्री किस दिनांक को हो रही है इसकी निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी व मण्डी सचिव की होगी। विक्रय दिनांक और पूर्ण भुगतान दिनांक मे असाधारण अंतर होने पर मण्डी अधिनियम/उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाये।

7/ संबंधित कर्मचारी व मण्डी सचिव के द्वारा रेंडम आधार पर किसान से चर्चा कर उक्त पंजी मे एन्ट्री का सत्यापन भी किया जावे।

8/ मंडी मे निरीक्षण करने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी इस पंजी का अवलोकन कर किसानों से रेंडम आधार पर चर्चा कर उक्त पंजी मे एन्ट्री का सत्यापन भी करेंगे।

22

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(23)

क्रमांक / नियमन / भुगतान / 369 / 1835 भोपाल, दिनांक 15 / 05 / 2019

प्रति,

1 संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय................. (समस्त)

2 भारसाधक / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.... म0प्र0 (समस्त)

विषय:–किसानों द्वारा कृषि उपज के विक्रय पश्चात भुगतान के संबंध मे।

संदर्भ:–कार्यालयीन पत्र, क्रमांक / बी–6 / नियमन / भुगतान / 369 / 1414 दिनांक 23.9.17, क्रमांक 1479 दिनांक 11.10.17, क्रमांक 1620 दिनांक 20.11.17, क्रमांक / 1830 दिनांक 09.04.18 एवं पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 03.04.2019

वर्तमान मे राज्य शासन द्वारा जय किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत पंजीकृत किसानों से गेहूँ खरीदा जा रहा है। जिसके विस्तृत निर्देश, योजना की प्रति आपको पूर्व मे प्रेषित किये जा चुके है।

कृषि उपज मण्डियों मे उक्त योजनान्तर्गत पंजीकृत किसानों के साथ ही बडी संख्या मे गैर पंजीकृत किसान भी अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय कर रहे है, जिससे मण्डियों मे अधिक आवक एवं किसानों की संख्या बहुत अधिक रहने से, किसानों को भुगतान की सघन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

इस संबंध मे सन्दर्भित पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 03.04.2019 से मण्डी निकासी गेट पर व्यापारीवार खाता संधारण करने के निर्देश भी दिये गये है जिसमे किसान के नाम के साथ विक्रय संव्यवहार एवं भुगतान की प्रविष्टि की जाना है। उक्त निर्देशो के परिपालन के अनुक्रम में की जा रही कार्यवाही के साथ ही किसानों को भुगतान की सघन मॉनिटरिंग के लिये मण्डियों मे निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये :–

1/ मण्डी समिति मे क्रेता व्यापारियों द्वारा प्रतिदिन क्रय की गई कृषि उपज का विस्तृत विवरण उसी दिवस में या अधिक से अधिक अगले कार्य दिवस में निम्न प्रारूप मे प्राप्त किया जाये –

क्र	कृषि उपज क्रय दिनांक	किसान का नाम	भुगतान पत्रक क्रमांक	किसान को भुगतान योग्य राशि	नकद भुगतान की गई राशि	आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भुगतान की गई राशि एवं दिनांक	बैंक का नाम एवं यूटीआर नम्बर	कुल भुगतान राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

जिस व्यापारी से उक्त प्रारूप मे विवरण प्राप्त नही हो रहा है उनसे संपर्क कर प्रारूप में विवरण प्राप्त किया जाये।

2/ व्यापारियो से उक्तानुसार जानकारी प्राप्त होने पर इसका मिलान, निकासी गेट पर रखे गये व्यापारीवार खाते से प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करें।

3/ किसानों का भुगतान नियत अवधि मे नही होना परिलक्षित होने पर संबंधित व्यापारी के स्कंध का परिवहन/अनुज्ञा रोकने और किसान को भुगतान उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु व्यापारी के प्रतिभूति, भंडारित स्कंध एवं अचल संपत्ति से किसानों को भुगतान उपलब्ध कराया जाये।

4/ उक्त के बाद भी किसान का भुगतान में विलम्ब होने पर संबंधित व्यापारी के विरूद्ध मण्डी अधिनियम अनुसार क्रय–विक्रय रोकने, लायसेंस निलम्बन, भुगतान की कार्यवाही हेतु आर.आर.सी जारी करना तथा व्यतिक्रमी व्यापारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने आदि की कार्यवाही नियमानुसार करना सुनिश्चित करे।

5/ किसानों के भुगतान मे व्यतिक्रम के प्रकरण प्रकाश में आने पर मंडी अधिकारी/ कर्मचारियो की दोषिता का निर्धारण कर कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्यालय भेजें। ऐसे प्रतिवेदनो में व्यतिक्रम फर्म के संबंध मे निम्नानुसार जानकारी भी उपलब्ध करायें :–

अ– व्यापारी फर्म को लायसेंस कब दिया गया।
ब– पूर्व मे व्यापारी के पास किस–किस मण्डी का लायसेंस था अथवा नही।
स– व्यापारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति का विवरण।
द– व्यापारी द्वारा व्यतिक्रम किये जाने की खरीदी अवधि मे सचिव, प्रांगण प्रभारी, भुगतान प्रभारी, अनुज्ञा प्रभारी एवं अन्य संबंधित प्रभारी, कौन–कौन पदस्थ थे, नाम, अवधि एवं तिथि सहित जकारी।

6/ किसानों को भी उनके कृषि उपज का भुगतान प्रक्रिया (नगद एवं आरटीजीएस/ एनईएफटी) के संबंध में उद्घोषणा एवं प्रचार–प्रसार से अवगत कराया जायें। किसानो को यह भी सूचित किया जाये कि मंडी मे चैक से भुगतान प्रतिबंधित है तथा RTGS/NEFT से भुगतान अधिकतम 3 से 5 दिवस मे उनके खाते मे प्राप्त होना चाहिये यदि कृषि उपज का भुगतान 5 दिन की समयावधि मे प्राप्त नही होने पर मण्डी कार्यालय में तत्काल इसकी शिकायत किया जाये जिससे किसानो के भुगतान विलम्ब के प्रकरण निर्मित न हो।

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/नियमन/भुगतान/369/1835 भोपाल, दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपि:–

(1) अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
(2) गार्ड फाईल।

प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(25)

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1957 भोपाल, दिनांक 22/05/19

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

2– भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
..... जिला .....(समस्त)

विषयः– मंडियों में किसानों द्वारा विकित कृषि उपज पर नगद भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।

समय–समय पर अनेक मंडियों में ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं जहां किसानों को व्यापारियों द्वारा भुगतान योग्य राशि बैंक ट्रांसफर प्रणाली जैसे आरटीजीएस/एनईएफटी इत्यादि से तत्समय भुगतान नहीं करते हुए, रात्रि समय अथवा अवकाश की स्थिति का दुरूपयोग करते हुये उधार की गयी और बाद में संबंधित व्यापारियों द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाकर व्यतिकम किया गया, जो कि मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

2– इसके अतिरिक्त प्रदेश में नगद भुगतान के लिए विभिन्न मंडियों में विभिन्न प्रकार की प्रकिया का पालन किया जा रहा है। जहां एक ओर प्रदेश की कई मंडियों में पूर्णतः नगद भुगतान किया जा रहा है जिससे की कृषक संतोष व्यक्त कर उन मंडियो में कृषि उपज विकय हेतु अग्रसर हो रहे हैं, वहीं कतिपय मंडियों द्वारा आयकर अधिनियम के सामान्य भुगतान नियम का हवाला देते हुए मात्र रूपये 10 हजार तक ही नगद भुगतान किया जा रहा है। वही कुछ व्यापारियों द्वारा उसी एक ही मंडी में पूर्ण नगद भुगतान किया जा रहा है, जबकि कुछ व्यापारियों द्वारा नगद एवं आरटीजीएस/एनईएफटी दोनो से भुगतान किया जा रहा है।

यह भी संज्ञान मे आया है कि अनेक व्यापारियों द्वारा आयकर अधिनियम की आड़ लेकर नगद भुगतान न कर किसानों से उधारी की जाती है और इस बीच में उनके द्वारा कय उपज आगे बेचकर राशि प्राप्त होने पर ही कृषकों को भुगतान किया जाता है।

3– भारत सरकार वित्त मंत्रालय :– डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू (सीबीडीटी) द्वारा कृषकों द्वारा कृषि उपज के विकय पर भुगतान के संबंध में जारी स्पष्टीकरण दिनांक 03.11.17 से स्पष्ट किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40A(3) के प्रावधानों पर आयकर नियम 1962 के नियम 6 DD(e) के अंतर्गत छूट दी गयी है, जिसके तहत किसानों/उत्पादको द्वारा विकित कृषि उपज पर रूपये 2.00 लाख तक नगद भुगतान (अधिकतम 1,99,999/–) पर पूर्ण छूट है और उक्त भुगतान करने पर प्राप्तकर्ता (कृषक) पर आयकर अधिनियम की धारा 269ST भी लागू नहीं होती है तथा कृषकों को उसका पेनकार्ड अथवा फार्म नं. 60 प्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत् रखते हुए कृषको को रूपये 2.00 लाख तक के नगद भुगतान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध वर्तमान में नहीं है।

4– कृषि उपज मंडी अधिनियम धारा 37 (2) (क) के अनुसार मंडी प्रांगण में कय की गई कृषि उपज का भुगतान विकेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाना अनिवार्य हैं । उसी दिन भुगतान नही होने के स्थिति में मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ख) के अनुसार विकेता को देय कृषि उपज के एक प्रतिशत की प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिवस के भीतर करने का प्रावधान हैं एवं इस अतिरिक्त अवधि में भुगतान का व्यतिकम होने पर मंडी अधिनियम की धारा 37(2)(ग) के अनुसार केता व्यापारी की अनुज्ञप्ति 6वे दिन स्वतः रद्द समझी जावेगी और इसे या उनके नातेदार को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नही की जायेगी। (नातेदार से अभिप्राय हैं ऐसे नातेदार जैसे की मंडी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विर्निदिष्ट हैं।)

5– मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के अन्तर्गत किसानो के उसी दिन भुगतान मंडी प्रांगण में कराये जायें । मंडी सचिव अनुज्ञा पत्र जारी कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि किसानो का भुगतान हो चुका हैं । भुगतान पत्रक पर किसान के भुगतान प्राप्ति के हस्ताक्षर सत्यापित करा लिये गये हैं । परिपत्र कमांक

1639 दिनांक 03.04.19 में कृषको के भुगतान का सत्यापन करने और तद्उपरान्त ही निकासी की अनुमति देने के संबंध में कार्रवाही करने व जानकारी देने हेतु पत्रक निर्धारित किये गये हैं तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया हैं ।

6— इसी प्रकार कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 19(4) में स्पष्ट हैं कि अधिसूचित कृषि उपज ऐसी उपज पर देय मंडी फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत या विनिर्मित की गई हैं या बेच दी गई हैं या पुनः बेच दी गई हैं तो मंडी फीस यथा स्थिति प्रसंस्कृत या विनिर्मित उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पॉच गुने की हिसाब से उद्ग्रहित तथा वसूली की जायेगी ।

अतः पूर्ण मंडी फीस प्राप्ति किये जाने के उपरान्त ही किसी भी कृषि उपज की मंडी प्रांगण से निकासी की अनुमति दिये जाने की आदेश दिये हैं और परिपत्र कमांक 1067 दिनांक 01.01.19 में तत्संबंधी सत्यापन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन जानकारी आंचलिक कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय भोपाल प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

7— उपरोक्तानुसार कृषको/उत्पादको की आवश्यकतानुसार, मंडी अधिनियम के प्रावधान धारा 37(2) में उसी दिन भुगतान की एवं 19(4) में निकासी पूर्व कृषक भुगतान व मंडी शुल्क पूर्ण जमा होने की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की कृषि उपज मडियो में निम्नानुसार व्यवस्था हेतू आदेशित किया जाता हैं —

(1) कृषि उपज मण्डी में कृषक/उत्पादक के सत्यापन पोर्टल से तथा पोर्टल पर पंजीयन न होने पर कृषक द्वारा स्वयं की पहचान (आईडेंटीटी) के आधार पर तथा खसरा नकल के आधार पर मंडी में एक पंजी में प्रविष्टि कर जानकारी कार्यालय में संधारित रख केता व्यापारी को कृषक होने के सत्यापन सील लगा अथवा प्रमाण पत्र से तत्समय जारी किये जांवेगें । इस हेतु मंडी में उत्तरदायित्व निर्धारित कर हेल्पडेस्क स्थापित की जावे ।

(2) जिन कृषको के पंजीयन उपार्जन/मंडी/ई–नाम/भामुयो आदि में उपलब्ध हैं, से भी कृषको के होने का सत्यापन किया जा सकेगा ।

(3) समस्त कृषकों को उनकी कृषि उपज का रूपये 2.00 लाख तक (अधिकतम 1,99,999/–) नगद में ही भुगतान अनिवार्यतः किया जायेगा।

(4) संबंधित व्यापारियों द्वारा मंडी में उपज के कय उपरांत मंडी द्वारा जारी अनुबंध, तौल एवं भुगतान पर्ची को संधारित किया जावेगा। किसानों का प्रमाणिकरण मंडी द्वारा किये जाने उपरान्त ,किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जावे। आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित करने पर मंडी द्वारा क़िसान प्रमाणिकरण के अभिलेख उपलब्ध कराये जावेगें।

(5) गैर कृषक अथवा गैर कृषि उत्पादक भी मंडी प्रांगण में उपज विकय हेतू आते हैं तथा मंडी अधिनियम में किसी को भी मंडी प्रांगण में ही कृषि उपज कय विकय की अनुमति होने से मंडी में छोटे संग्राहक विकेता द्वारा भी उपज विकय की जाती हैं को भी मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के तहत उसी दिन भुगतान प्राप्त करने का अधिकार हैं, ऐसी स्थिति में संबंधित विकता को विधि की परिधि में अधिकतम नगद व उसी दिन बैंक ट्रांसफर से भुगतान की व्यवस्था लागू किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।,

(6) किसी भी दशा में किसान को धारा 37(2) की भुगतान अनिवार्यता के अनुरूप, पूर्ण भुगतान उसी दिन किया जाना आवश्यक हैं, इस हेतू निर्देशानुसार अधिकतम रू. 2.00 लाख नगद व शेष उसी दिन बैंक ट्रांसफर प्रणाली से, किसान के खाते में प्राप्त होना अनिवार्य हैं ।

(7) किसान अथवा अन्य विकेता द्वारा विकय की गई कृषि उपज निकासी अनुज्ञा के पूर्व, मंडी अधिनियम की धारा 37(2) के तहत, किसान/विकेता को पूर्ण भुगतान की प्राप्ती व उसका सत्यापन किया जाना अनिवार्य हैं, साथ ही मंडी अधिनियम की धारा 19 के तहत अनुज्ञा जारी करने के पूर्व किसान का भुगतान पूर्ण प्राप्त होना व मंडी शुल्क की प्राप्ति होने के उपरांन्त ही, निकासी प्रदान की जा सकती है।

अतः विकेता को पूर्ण भुगतान व मंडी फीस प्राप्त किये बिना, किसी भी दशा में निकासी की अनुमति नही दी जावे ।

(8) यदि कोई लाईसेंसी व्यापारी अधिनियम के उक्त निर्देशों का पूर्ण परिपालन नहीं करता है तो उसके क्रय–विक्रय को रोका जावे और उसका लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे । मंडी सचिव, निरीक्षक, उप निरीक्षक व अन्य कर्मचारी द्वारा उक्त निर्देशो के लागू करने में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाही की जावेगी।

(9) इन निर्देशों का प्रचार–प्रसार मंडियों में प्रवेश, नीलामी, भुगतान, निकासी स्थल पर दीवार लेखन, होर्डिंग व बैनर लगाकर और लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रो से लगातार उदघोषणा की जावे । किसानों को भी इस संबंध में अधिकाधिक अवगत कराया जावे। किसानो की भुगतान संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु मण्डी सचिव एवं प्रांगण प्रभारी, भुगतान प्रभारी के नाम एवं मोबाईल नम्बर भी सहज दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

(10) जिन कृषि उपज मण्डियो में अथवा जिन व्यापारियो के द्वारा वर्तमान मे पूर्णतः नगद भुगतान किया जा रहा है, वहां पर प्रचलित व्यवस्था को यथावत रखा जाए।

(11) अनुज्ञप्तिधारी प्रोसेसिंगं प्लांट, एकल अनुज्ञप्ति/विशिष्ट अनुज्ञप्ति क्रय केन्द्र पर जहां पर कृषि उपज क्रय मात्रा एवं दैनिक भुगतान की मात्रा अत्याधिक रहती है और इस कारण से उक्त रूपये 2.00 लाख नगद भुगतान व्यवस्था की जाना संभव नही है, ऐसी स्थिति मे वहां पर क्रय दिवस मे अधिकतम संभव नगद भुगतान एव शेष भुगतान उसी दिन बैंक ट्रांसफर प्रणाली आरटीजीएस/एनईएफटी इत्यादि से कराया जावें।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

29/5/17

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(30)

क/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1158 . भोपाल, दिनांक :29/05/19

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

1– विशेष सहायक, माननीय मंत्री, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।

2– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।

4– अपर/संयुक्त/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। मंडियो में निरीक्षण में उक्त का परीक्षण सत्यापन कर प्रतिवेदन देवे ।

29/5/19

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

(31)

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल

क./बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/2574 भोपाल, दिनांक 29/08/2019

प्रति,

1– संयुक्त संचालक/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

2– भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
..... जिला ..... (समस्त)

विषय:–व्यापारी संगठनों की ओर से मण्डी समितियों में नगद भुगतान के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापन।

संदर्भ:–कार्यालयीन पत्र कमांक/बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/1957 29.05.19

–0–

प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में कुछ व्यापारियों के द्वारा किसानों की भुगतान योग्य राशि बैंक ट्रांसफर प्रणाली आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के द्वारा यथासमय भुगतान न करते हुए एवं अवकाश के दिनों का दुरूपयोग करते हुए विलम्ब से भुगतान किये जाने तथा कुछ मण्डियों के कतिपय व्यापारियों के द्वारा किसानों के भुगतान बैंक ट्रांसफर प्रणाली(ऑनलाइन) से भुगतान न करते हुए किसानों को चेक जारी किए गए। उक्त चेक बैंकों से अनादरित हुए तथा कई किसानों को उनकी उपज का भुगतान विलम्ब से प्राप्त हुआ एवं कई किसानों का भुगतान लम्बित रहा। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत किसानों के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए मण्डी बोर्ड द्वारा प्रदेश की मण्डियों में किसानों के द्वारा विक्रय किए गए उपज का अधिकतम रूपये 2.00 लाख नगद भुगतान करने के आदेश जारी किये गये।

(2) प्रदेश की विभिन्न मण्डियों के व्यापारियों एवं व्यापारी संगठन की ओर से इस आशय के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, कि भारत सरकार द्वारा बजट वर्ष 2019–20 में 02 सितम्बर,2019 से सालाना एक करोड़ की निकासी पर 2% टी.डी.एस. का प्रावधान किये जाने से मण्डी बोर्ड, भोपाल के पत्र कमांक–1957 दिनांक 29.05.19 के अनुसार किसानों को उनके द्वारा मण्डी में विक्रय की गई कृषि उपज का नगद भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

(3) एक करोड़ की निकासी पर टी.डी.एस. का प्रावधान 02 सितम्बर,2019 से लागू किये जाने से व्यापारियों एवं व्यापारी संगठन की ओर से उक्त आशय का ज्ञापन मण्डी समितियों में प्रस्तुत किये गये हैं और यदि मण्डी समितियों द्वारा कृषकों का भुगतान

(32)

नगद करने हेतु व्यापारियों को बाध्य किया जाता है, तो उनके द्वारा मण्डियां बन्द की जाएगी इस आशय की सूचना विभिन्न मण्डियों द्वारा मुख्यालय को भेजी गई है।

(4) व्यापारियों द्वारा टी.डी.एस. कटौत्रे से बचने के लिए नगद भुगतान की असमर्थता व्यक्त करने एवं मण्डी बोर्ड के परिपत्र कमांक– 1957 दिनांक 29.05.19 के अनुसार नगद भुगतान की बाध्यता रखने से वर्तमान स्थिति में मण्डी के व्यापारियों द्वारा कय–विकय प्रभावित न किया जा सके। इसके लिए बोर्ड द्वारा व्यापारियों एवं किसानो की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे की व्यवस्था विकसित करने के लिए निविदा जारी की गयी थी, किन्तु उपयुक्त निविदा के अभाव में पेमेंट गेटवे प्रणाली के लिए बैंक का चयन नहीं किया जा सका। अभी पुनर्निविदा की कार्यवाही प्रकिया में है।

(5) भारत सरकार के बजट वर्ष 2019–20 अनुसार वर्ष में एक करोड़ नगद आहरण पर 2% टी.डी.एस. के कारण मण्डियों में नगद भुगतान करने हेतु व्यापारियों द्वारा व्यक्त की गई असमर्थता को दृष्टिगत रखते हुए एवं 02 सितम्बर, 2019 से मण्डियों में क्रय–विक्रय सतत् रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

i. मण्डी बोर्ड द्वारा किसानों एवं व्यापारियों को सुविधा की दृष्टि से पेमेंट गेटवे हेतु पुनः निविदा जारी की गई है। बैंक के चयन में एक माह का समय लगना संभावित है। सितम्बर माह के अन्त तक एमपी आनलाइन के पास उपलब्ध पेमेंट गेटवे के उपयोग तक के लिए जो भी पहले हो व्यापारियों से नगद भुगतान की व्यवस्था निरन्तर रखने हेतु व्यापारियों को अवगत कराया जावे।

ii. मण्डियों में पेमेंट गेटवे की प्रणाली लागू करने तक यदि व्यापारियों द्वारा नगद भुगतान को निरन्तर नहीं रखा जाता है, तो कृषकों को उनके द्वारा विक्रय की गई कृषि उपज का आर.टी.जी.एस./एनईएफटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।

iii. व्यापारियों द्वारा किसानों से कय की गई कृषि उपज का भुगतान होने के पश्चात् ही अनुज्ञा जारी की जाएगी।

iv. प्रदेश की कुछ मण्डियों की पूर्व की घटना के मद्देनजर किसानों के भुगतान की सुनिश्चितता हेतु व्यापारियों से मण्डी प्रावधानों के अनुसार 01 दिन अधिकतम खरीदी के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा कराई जाए।

v. सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में व्यापारी संघों से संशोधन प्रारुप– 7 पर प्रमाण–पत्र लिया जाए जिसमें किसी भी क्रेता व्यापारी के द्वारा किसानों का भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण राशि का भुगतान सामूहिक प्रतिभूति में से किया जा सकेगा।

(33)

vi. मण्डियों में किसानों का शतप्रतिशत भुगतान समय पर कराने हेतु नगद भुगतान की व्यवस्था के निर्देश जारी किये गये थे। यदि शासन प्रावधानों के कारण व्यापारी/केता कृषकों को नगद भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफर प्रणाली (ऑनलाइन) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./यूपीआई/आईएमपीएस इत्यादि किसी भी ऑनलाइन प्रकिया से भुगतान कर सकते हैं परन्तु भुगतान की सुनिश्चितता पश्चात् ही ई–अनुज्ञा जारी की जा सकेगी। इसकी सूचना से व्यापारियों को अवगत कराया जाए।

(6) सभी मण्डी समितियों में किसानों को उद्घोषणा के माध्यम से सूचित किया जावें कि वह 02 सितम्बर,2019 से अपनी कृषि उपज के साथ अपना बैंक खाता कमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड, (बैंक पास–बुक की फोटो कापी) साथ लेकर आवें ताकि उनकी कृषि उपज का भुगतान व्यापारियों द्वारा नगद न किए जाने की स्थिति में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. से किया जा सके।

उक्त सूचना मण्डियों में सूचना पटल के साथ–साथ मण्डी परिसर में बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जावे तथा सतत् प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

30/8/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(34)

पृ. क./बोर्ड/नियमन/भुगतान/2018–19/2575 भोपाल, दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।

30/8/19

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल